	E-MAIL/FAX/SPEEDPOST भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA ितेत संत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
	CE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन-682009 SE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant	An IS 15700 certified Custom House
Website: www.cochincustoms.nic.in E-mail: commr@cochincustoms.nic.i	Control Room: 0484-2666422 n Fax: 0484-2668468 Ph: 0484-2666861-64/774/776
F.No. S.65/17/2018-CCU.CUS.	दिनांक Date: 23.05.2018

परिपत्र संख्या CIRCULAR No. 29/2018

विषय: स्थायी व्यापार सुविधा समिति की दिनांक 04.05.2018 को हुई बैठक का कार्यवृत्त-संबंधित

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee-Minutes of the meeting held on 04.05.2018 Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक दिनांक 04.05.2018 को 03:15 बजे अपराहन सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। श्री सुमित कुमार, आयुक्त ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

Meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 03:15 PM on 04.05.2018 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Sumit Kumar, Commissioner chaired the meeting.

सीमाशूल्क के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

- 1. एस अनिल कुमार, अपर आयुक्त S Anilkumar, Additional Commissioner
- 2. अमरीता टाइटस, उप आयुक्त Amreeta Titus, Dy, Commissioner
- 3. एस वी प्रकाश, सहायक आयुक्त S. V. Prakash, Asst. Commissioner
- 4. एम आर हजोंग, सहायक आयुक्त M.R.Hajong, Asst.Commissioner
- 5. एम एस स्रेश, सहायक आयुक्त M.S.Suresh, Asst. Commissioner
- 6. विक्रम कौशिक, सहायक आयुक्त Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
- 7. वी ए मोइदीन नैना,सहायक आयुक्त V A Moideen Naina, Asst Commissioner
- 8. भुवनचंद्रन पी,वैज्ञानिक 'ई',एनआईसी Bhuvanachandran P., Scientist E', NIC

9. विजयन पिल्लई, सीमाशुल्क अधीक्षक (निवारक), Vijayan Pillai, Superintendent of Customs (P)

व्यापार एवं व्यापार से संबंधित दूसरे संगठन का प्रतिनिधित्व निम्नलिखितों ने किया गया The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by

सर्व श्री:S/Shri:

,

1.	जी गुप्ता, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट	G Gupta, Cochin Port Trust
2.	राज विनोद, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट	Raj Vinod, Cochin Port Trust
3.	सी एम उन्नीकृष्णन, कयर बोर्ड	C M Unnikrishnan, Coir Board
4.	वी टी जाधव, टेक्सटाइल कमिटि	V T Jadhav, Textile Committee
5.	एस एस सिन्धू, प्लान्ट क्वरेन्टाइन	S S Sidhu, Plant Quarantine
6.	एस एस दास, निर्यात निरोक्षण अभिकरण	S S Das, Export Inspection Agency
7.	डा. एस विजयकुमार, एमपीईडीए	Dr. S Vijayakumar, MPEDA
8.	डा. जेस्टो जॉर्ज, एफएसएसएआई	Dr. Jesto George, FSSAI
9.	डा. वृषि, पशु संगरोध व प्रमाणन सेवा	Dr. Vrushi, Animal Quarantine & Certification Service
10.	सुधा एस नायर,	Sudha S Nair, Central Drugs
	केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संगठन,	Control Organisation
11.	बी एन झा, स्पाइसेस बोर्ड	B N Jha, Spices Board
12.	विनोद कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक,	Vinod Kumar, Reserve Bank of India
13.	श्रीकुमार, भारतीय रिजर्व बैंक	Sreekumar, Reserve Bank of India
14.	ए एस फर्नांडीज, सीसीबीए	A A Fernandez, CCBA
15.	प्रकाश अय्यर, सीएसएए	Prakash Iyer, CSAA
16.	कन्नन, सीएसएए	Kannan, CSAA
17.	नाबर्ट करिकासेरी, भारतीय समुद्री	Norbert Karikkassery, Seafood
	उत्पाद निर्यात अभिकरण	Exporters Association of India
18.	एस राधाकृष्णन, भारतीय समुद्री	S. Ramakrishnan, Seafood
	उत्पाद निर्यात अभिकरण	Exporters Association of India
19.	एलेक्स पी नैनान,	Alex P Ninan, Seafood
	भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात अभिकरण	Exporters Association of India
20.	अब्राहम फिलिप, आईसीसीआई	Abraham Philip, ICCI
21.	पी एम मुरलीधरन, आईसीसीआई	P M Muraleedharan, ICCI
22.	के मनोज कुमार,	K Manoj Kumar,
	भारतीय समेकन संस्थान	onsolidators Association of India
Page 2 of 7		

Page 2 of 7

23.	के सुरेश बाबू, सीएफएस, सीपीटी	Suresh Babu, CFS CPT
24.	राजीव एम सी, एफआईईओ	Rajeev M C, FIEO
25.	वी वीराराघव, सीएफएस, जीडीकेएल	V. Veeraraghav, CFS GDKL
26.	बीजू आर, सीएफएस पेट्टा	Biju R, CFS Petta
27.	संतोष कुमार, सीएफएस फाल्कन	Santhosh Kumar, CFS Falcon
28.	जोसमोन एम डी, सीएफएस,सीआईसीएफएस	Josemon M D, CFS, CICFS
29.	राजीव के एस, सीएफएस, कोनकोर	Rajeev K S, CFS CONCOR

अध्यक्ष ने बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। पिछली बैठक का कार्यवृत्त और उसमें विचाराधीन बिंदुओं पर की गई कार्रवाई पर विचार करने के बाद नई बिदुओं को विचार के लिए लिया गया :

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई Action on minutes of Last Meeting

बिंदु संख्या 1 - कंटेनर सेल में कागजी कार्य में देरी Point No. 1 - Delay in documentation work at Container Cell

श्री साबू, सीएसएए कंटेनर सेल में दस्तावेजी कार्य में देरी के मुद्दे को उठाया और अध्यक्ष महोदय ने कंटेनर सेल में किये जाने वाले कार्य की सूची प्रस्तुत करने को कहा।

Shri Sabu, CSAA had raised the issue of delay in documentation work at Container Cell and the Chair had enquired to submit the list of functions carried out at Container Cell.

सी एस ए ए ने कार्य की सूची प्रस्तुत नहीं की। अध्यक्ष ने सीएसएए प्रतिनिधियों को यथाशीघ्र सूची प्रस्तुत करने को कहा ताकि आगे प्रक्रियाओं को आसान करने पर निर्णय लिया जा सके।

CSAA had not submitted the list of functions. The Chair requested the CSAA representatives to give the list at the earliest so that a decision could be taken on further simplification of procedures.

चर्चा के लिए नये बिंदु FRESH POINTS FOR DISCUSSION पॉइंट नंबर 1 : कंटेनर सेल में अधिकारी नहीं है।

Point No. 1: No officers at Container Cell

सीएसएए ने बताया कि कंटेनर सेल में कोई अधिकारी अभी तक तैनात नहीं है और इससे कार्य में देरी हो रही है।

CSAA stated that no officers have been posted at Container Cell till date and this was leading to difficulties in carrying out the functions.

अध्यक्ष ने पुन: अनुरोध किया कि कंटेनर सेल में किन कार्यों के लिए अधिकारियों के सेवाओं की आवश्यकता है। अध्यक्ष ने पुन: कहा कि एक बार सेवाओं की सूची प्राप्त हो जाने पर, यदि आवश्यक हो तो, कंटेनर सेल में अधिकारियों को तैनात करने के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

The Chair again requested the functions for which the services of Officers were required at Container Cell. The Chair added that once the list of services is received, a decision would be taken for posting Officers at Container Cell, if required.

पॉइंट नंबर 2 : सार्वजनिक सूचना संख्या : 10/2018 Point No. 2 Public Notice No. 10/2018

सीएसएए ने बताया कि कोई भी तटीय जहाज संचालक सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2018 का लाभ उठाने में समर्थ नहीं हैं। कोई वशेष कठिनाईयों के बारे में नहीं बताया गया।

CSAA stated that no coastal vessel operators are able to get the benefit of Public Notice No. 10/2018. No specific difficulties were pointed out.

अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि अस्पष्ट बयान करने की बजाय विशिष्ट कठिनाईयों के बारे में बताया जाये।

The Chair requested the specific difficulties faced rather than making vague statements.

बिंदु संख्या 3: बैगेज कर भुगतान Point No. 3 Baggage Duty Payment

सीसीबीए ने बताया कि साथ में न लाये गये सामान की निकासी पर शुल्क का भुगतान अधिकतम रूपये 10,000/- तक केवल 3 बजे अपराहन तक ही स्वीकार किया जाता है और उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बनाने पर जोर दिया जाता है। पुन: यह बताया गया कि अधिकतर यात्री जो अपने साथ न लाये गये सामान की निकासी के लिए आते हैं, का यहॉ अपना कोई खाता नहीं होता है। पुन: यह अनुरोध किया गया कि नगद भुगतान की सीमा को बढ़ाकर 50,000 रूपये तक किया जाये एवं नगद भूगतान अपराहन 4 बजे तक स्वीकार किया जाये।

CCBA stated that duty on account of clearances of Unaccompanied Baggage was being accepted only up to 3 PM in cash with a maximum limit of Rs. 10,000/- after which a DD was being insisted. It was further added that most of the passengers coming for clearance of their Unaccompanied Baggage do not have an account in Cochin. It was requested that the cash payment limit may be increased up to Rs. 50,000/- and the cash payment may be accepted up to 4 PM.

अध्यक्ष ने बताया कि वह इस मामले पर विचार करेंगे। The Chair stated that he would look into the matter.

पॉइंट नं. 4: फरवरी एवं मार्च महीने 2018 के लिए निर्यातकों की दैनिक सूची Point No. 4 Daily List of Exports for the month of February & March 2018

कयर बोर्ड के श्री उन्नीकृष्णन ने बताया कि वे फरवरी एवं मार्च महीने 2018 के लिए भेजे गये डाटा को अभी तक डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं।

Shri Unnikrishnan, Coir Board stated that they have still not been able to download the data sent to them for the month of February & March, 2018.

अध्यक्ष ने श्री भुवनचंद्रन, वैज्ञानिक, एनआईसी को मामले को समझाने का अनुरोध किया। भुवनचंद्रन ने बताया कि रिपोर्ट एचटीएमएल फॉर्मेट में है एवं कयर बोर्ड में उपस्थित आईटी अवसंरचना की मदद से उसे एक्सेल शीट में बदला जा सकता है।

The Chair requested Shri Bhuvanachandran, Scientist, NIC to explain the issue. Shri Bhuvanachandran stated that the report is in HTML format and can be converted into excel with the help of IT structure available with Coir Board.

बिंदु संख्या 5: निर्यात माल पर एफएसएसएआई Point No. 5 FSSAI on Export Cargo

आईसीसीआई प्रतिनिधियों ने एक स्पष्टीकरण स्पॅबा कि क्या निर्यात माल के लिए एफएसएसएआई प्रमाणीकरण की आवश्यकता है एवं पुन: पूछा कि क्या प्रत्येक पैकेज पर पंजीकरण संख्या का विवरण देना आवश्यक है।

ICCI representative requested a clarification on whether FSSAI Certification is required on Export Cargo and further asked as to whether it was necessary to mention Registration No. on each package. अध्यक्ष ने बताया कि निर्यात माल एफएसएसएआई पंजीकरण का विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

The Chair stated that there was no requirement to mention FSSAI Registration on the Export Cargo.

चूँकि कोई और बिंदु चर्चा के लिए नहीं आये, अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का धन्यवाद करने के बाद बैठक का समापन किया। स्थायी व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की सूचना सीमाशुल्क गृह की वेबसाईट www.cochincustoms.nic.in पर दी जायेगी। चर्चा के लिए कोई और बिंदु हो तो यथाशीघ्र भेजे जायें। यदि कोई और जानकारी आवश्यक हो तो टेलीफोन नंबर 0484-2667040 या ईमेल ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com से प्राप्त की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting with a word of thanks to the members. The date for the next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries, if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-

सुमित कुमार (Sumit Kumar)

सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

S.No. S 65/11/2012 - CCU CUS. Pt III दिनांक Dated: 23.05.2018

प्रतिहस्ताक्षरित //Attested// पवित्रन T Pavitran)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी सी यू)/ Supdt. of Customs (CCU)

प्रतिलिपि Submitted to:

मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, केरल जोन, कोचीन The Chief Commissioner of Central Excise, Central Tax & Customs, Kerala Zone, Cochin.

अपर महानिदेशालय, कर आदाता सेवाएं निदेशालय, बैंगलोर जोनल यूनिट, 4 वां तल, टीटीएमसी भवन, बीएमटीसी बस स्टैंड, डोमल्र, बैंगलोर- 560071 The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि Copy to:

अपर आयुक्त	Additional Commissioner
सभी उप आयुक्त एवं सह आयुक्त	A11 D.Cs & A.Cs
सभी सदस्य	All members